IX भुगतान और निपटान प्रणालियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी

2025-26 के दौरान रिज़र्व बैंक ने देश भर में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और कुशल भुगतान प्रणालियाँ प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इसने भारत के घरेलू भुगतान प्लेटफॉर्मों, विशेष रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करते हुए डिजिटल भुगतान पारितंत्र की सुदृढ़ता और समावेशिता को मजबूत किया। रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों और विभिन्न एप्लिकेशन्स के सुचारू कामकाज के लिए मजबूत और सुरक्षित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रित रहा।

IX.1 पहले के भुगतान विज़न दस्तावेजों[1] द्वारा रखी गई नींव के आधार पर, रिज़र्व बैंक नवाचार और एक सहायक विनियामक ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में डिजिटल भुगतान को अपनाए जाने के विस्तार पर केंद्रित रहा। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान भुगतान विज़न 2028 जारी किया, जिसमें दिसंबर 2028 तक डिजिटल भुगतान के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच को और विस्तारित करने के प्रयास जारी रहे।

IX.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें एनजीआरटीजीएस[2] का उन्नयन भी शामिल है - जो समृद्ध वेब यूजर इंटरफेस और बेहतर निष्पादन और सुरक्षा के साथ एक उन्नत भुगतान प्रणाली प्रदान करता है।

IX.3 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 2025-26 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में हुई गतिविधियों के बारे में बताता है और संबंधित वर्ष के लिए एजेंडा के कार्यान्वयन स्थिति का भी आकलन करता है। खंड 3 2025-26 के लिए निर्धारित एजेंडा के समक्ष डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में बताता है। रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रेबिट) और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलोजी एंड एलाइड सर्विसेस (आईएफटीएएस) के संबंध में गतिविधियां भी प्रस्तुत की गई हैं। 2026-27 के लिए इन विभागों के एजेंडा को उनके संबंधित खंडों में शामिल किया गया है। समापन टिप्पणियों को अंतिम खंड में निर्धारित किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.4 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के स्तंभों में भुगतान विज़न 2025 के अनुरूप कई पहल कीं।

भुगतान प्रणालियाँ

IX.5 नकदरहित लेनदेन[3] में पिछले वर्ष में 34.8 प्रतिशत के विस्तार के बाद 2025-26 के दौरान लेनदेन की मात्रा के संदर्भ

[1] भुगतान पारितंत्र के संरचित विकास को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वयन रोडमैप के साथ-साथ रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 2001, 2005, 2009, 2010, 2012, 2016, 2019, 2022 और 2025 में भुगतान विज़न दस्तावेज जारी किए गए।

[2] नेक्स्ट जनरेशन तत्काल सकल निपटान।

[3] कुल भुगतान में डिजिटल भुगतान और पेपर-आधारित लिखत शामिल हैं।

में 26.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, वृद्धि दर पिछले वर्ष के 17.3 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 13.2 प्रतिशत हो गई।

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणालियाँ						
सीसीआईएल प्रचालित प्रणालियाँ	43	47	57	2,592.1	2,962.2	3,670.1
बी. भुगतान प्रणालियाँ						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण – आरटीजीएस	**2,700**	**3,025**	**3,500**	**1,708.9**	**2,013.9**	**2,273.7**
खुदरा खंड (2 से 6)						
2. क्रेडिट अंतरण	**14,86,107**	**20,61,015**	**26,18,738**	**675.4**	**798.8**	**919.4**
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	4	4	3	-	-	0.002
2.2 एपीबीएस	25,888	32,964	33,854	3.9	5.5	7.2
2.3 ईसीएस क्रे.	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	60,053	56,250	49,431	65.0	71.4	76.7
2.5 एनएसीएच क्रे.	16,227	16,939	18,284	15.3	16.7	19.0
2.6 एनईएफ़टी	72,640	96,198	1,00,996	391.4	444.6	502.3
2.7 यूपीआई	13,11,295	18,58,660	24,16,169	200.0	260.6	314.2
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	**18,250**	**21,660**	**23,471**	**16.9**	**22.1**	**27.0**
3.1 भीम *आधार* पे	194	230	232	0.1	0.1	0.1
3.2 ईसीएस डे.	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच डे.	16,426	19,762	21,614	16.8	22.0	26.9
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,629	1,668	1,625	-	-	0.02
4. कार्ड भुगतान	**58,470**	**63,861**	**73,040**	**24.2**	**26.1**	**28.1**
4.1 क्रेडिट कार्ड	35,610	47,741	60,238	18.3	21.1	23.6
4.2 डेबिट कार्ड	22,860	16,120	12,802	5.9	5.0	4.5
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**78,775**	**70,254**	**98,699**	**2.8**	**2.2**	**2.9**
6. पेपर आधारित लिखत	**6,632**	**6,095**	**5,588**	**72.1**	**71.1**	**71.5**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	16,48,234	22,22,885	28,19,536	791.5	920.3	1,048.8
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	16,50,934	22,25,910	28,23,036	2,500.4	2,934.1	3,322.5
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**16,44,302**	**22,19,815**	**28,17,448**	**2,428.2**	**2,863.0**	**3,251.0**

सीसीआईएल : भारतीय समाशोधन निगम लि.
एपीबीएस : *आधार* भुगतान ब्रिज प्रणाली
आईएमपीएस : त्वरित भुगतान सेवा
एनईएफटी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईटीसी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एईपीएस : *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली
ईसीएस : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनएसीएच : राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन ग्रह
भीम : *भारत* मुद्रा इंटरफेस
आरटीजीएस : तत्काल सकल निपटान
क्रे. : क्रेडिट
डे. : डेबिट
- : शून्य/नगण्य

टिप्पणियाँ :
1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त ट्रेड और रेपो लेनदेन और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं।
3. कार्ड के आंकड़े पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।
4. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

डिजिटल भुगतान

IX.6 2025-26 के दौरान, तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से संसाधित लेनदेन में मात्रा के संदर्भ में 15.7 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान खुदरा भुगतान लेनदेन में मात्रा के संदर्भ में 26.8 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IX.1)।

IX.7 खुदरा भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही, जिसका वर्ष के दौरान कुल खुदरा भुगतान लेनदेन में लगभग 86 प्रतिशत का योगदान है। यूपीआई लेनदेन में मात्रा के संदर्भ में 30 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

IX.8 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए), चार गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं और एक अंतरपरिचालनीय मोबाइल और नेट बैंकिंग परिचालक को प्राधिकृत किया। (सारणी IX.2)।

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को प्राधिकृत करना (मार्च के अंत में)

(संख्या)

संस्था	2025	2026
1	2	3
क. गैर-बैंक – प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता$	48	50
भुगतान एग्रीगेटर#^$	51	68
डब्ल्यूएलए परिचालक	5	5
तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीसीयू	1	1
बीबीपीओयू	10	10
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म परिचालक	5	5
एमटीएसएस परिचालक	7	7
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
वित्तीय बाजार अवसंरचना	1	1
केंद्रीय प्रतिपक्षकार	1	1
खुदरा भुगतान संस्थान	1	1
अंतरपरिचालनीय मोबाइल और नेट बैंकिंग	-	1
ख. बैंक - अनुमोदित		
पीपीआई जारीकर्ता	63	63
बीबीपीओयू	46	46
एटीएम नेटवर्क	3	3

$: इस अवधि के दौरान एक संस्था ने अपने प्राधिकार प्रमाण पत्र को सरेंडर कर दिया है और एक संस्था अपने प्राधिकार प्रमाण पत्र को स्वैच्छिक रूप से सरेंडर करने की प्रक्रिया में है।

^: इस अवधि के दौरान एक संस्था ने अपना प्राधिकार प्रमाण पत्र सरेंडर कर दिया।

#: पीए की श्रेणियां- ऑनलाइन, पीए- सीमा-पार और पीए- भौतिक को संचयी रूप से पीए के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि 15 सितंबर 2025 के भुगतान एग्रीगेटर के विनियमन पर मास्टर निदेश में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी: पीएसओ में सीसीआईएल (भारतीय समाशोधन निगम लि.) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अतिरिक्त पीपीआई जारीकर्ता, भुगतान एग्रीगेटर (पीए)-सीमा-पार, धन अंतरण (केवल आवक) सेवा योजनाएं (एमटीएसएस), व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालक, व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क, तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड नेटवर्क, *भारत* बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू), *भारत* बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू), केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और अंतरपरिचालनीय मोबाइल और नेट बैंकिंग परिचालक शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

2025-26 के लिए एजेंडा

IX.9 2025-26 के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था:

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी 'डिजिटल भुगतान के उपयोग पर सर्वेक्षण' के माध्यम से भारत के डिजिटल भुगतान पारितंत्र में उभरते रुझानों, इसे अपनाए जाने के पैटर्न और उपयोगकर्ता वरीयताओं का आकलन करना (पैराग्राफ IX.10);
- डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) की स्थापना करके डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, संदिग्ध लेनदेन की तत्काल पहचान के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना (पैराग्राफ IX.11);
- पहले के भुगतान विज़न दस्तावेजों की उपलब्धियों को आधार बनाकर चलते हुए भुगतान विज़न 2028 तैयार करना और डिजिटल भुगतान पारितंत्र को और गति प्रदान करना (पैराग्राफ IX.12); तथा

- सीमा-पार भुगतान के लाभार्थी चरण के प्रसंस्करण में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और भारत में संबंधित हितधारकों से विचार-विमर्श कर उपयुक्त विनियामक नीति/कार्रवाई तैयार करना (पैराग्राफ IX.13)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.10 रिज़र्व बैंक ने देश भर में फैले 30,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं और 10,000 से अधिक व्यापारियों को कवर करते हुए "डिजिटल भुगतान के उपयोग पर सर्वेक्षण" आयोजित किया। सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 52 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने डिजिटल भुगतान को अपनाया, जो मुख्य रूप से गति और सुविधा से प्रेरित था। उम्र,आय, लिंग और स्थान जैसे मापदंडों में इसे अपनाए जाने के विभिन्न रुझानों से नीतिगत कार्रवाई के लिए गुंजाइश का संकेत मिलता है। व्यापारियों में, 67 प्रतिशत ने डिजिटल भुगतान माध्यम को स्वीकार करने की सूचना दी, जिनमें से अधिकांश ने व्यवसाय परिचालन पर इसके सकारात्मक प्रभाव का संकेत दिया। यूपीआई, उपयोग और स्वीकृति दोनों के संदर्भ में प्रमुख भुगतान माध्यम के रूप में उभरा।

IX.11 डीपीआईपी प्रोटोटाइप का पहला चरण - अर्थात्, स्मार्ट रजिस्ट्री की स्थापना - अगस्त 2025 से परिचालनगत है।

IX.12 रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2026 को 'भुगतान विज़न 2028' जारी किया, जिसमें दिसंबर 2028 तक डिजिटल भुगतान के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है (बॉक्स IX.1)।

IX.13 लाभार्थी खातों में आवक सीमा-पार भुगतान के समय पर जमा होने में आने वाले बाधाओं की जांच करने के लिए,

बॉक्स IX.1
भुगतान विज़न 2028

रिज़र्व बैंक नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान की सुदृढ़ता, समावेशिता और उपयोगकर्ता-अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए 2001 से समय-समय पर भुगतान विज़न दस्तावेज प्रकाशित कर रहा है।

भुगतान विज़न 2028 के तत्वावधान में की जाने वाली कुछ प्रमुख पहलों में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड्स में अंतरपरिचालनीयता की शुरुआत करने के लिए एक ढांचा विकसित करना शामिल है।

डिजिटल भुगतान में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जारीकर्ता चैनल के माध्यम से डिजिटल भुगतान माध्यमों में लेनदेन को सक्षम या अक्षम करना; एक साझा उत्तरदायित्व ढांचा विकसित करना जिसमें ग्राहक का बैंक (जारीकर्ता) और लाभार्थी का बैंक दोनों संयुक्त रूप से दायित्व वहन करें; चेक के डिजाइन और सुरक्षा की समीक्षा करना; और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए एक साइबर प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) ढांचा शुरू करना जैसे उपायों का परीक्षण किया जाएगा।

सीमा-पार भुगतान के क्षेत्र में, दक्षता बढ़ाने के कदमों का पता लगाया जाएगा, और विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

इसके अलावा, व्यापार करने में आसानी और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत सीमा-पार भुगतान प्राधिकृति के लिए विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपायों का पता लगाया जाएगा। साथ ही एक सतत विनियामक सैंडबॉक्स संरचना के तहत छोटे भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को मान्यता देने के मामले का परीक्षण किया जाएगा। भुगतान निर्देशों को एक खाते से दूसरे खाते में माइग्रेट करने की सुविधा प्रदान करने और इस तरह ग्राहकों को न्यूनतम अवरोध के साथ अपने बैंक खातों को बदलने में सक्षम बनाने के रास्तों का भी पता लगाया जाएगा।

डिजिटल भुगतान से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू और सीमा-पार भुगतान डेटा तक पहुंच बढ़ाने के अलावा समर्पित अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है।

प्रणालीगत स्थिरता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बैंकिंग संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाए जाने के रास्तों का पता लगाया जाएगा। साथ ही एक समान घरेलू वैध इकाई अभिज्ञापक (डीएलईआई) की शुरुआत करने के लिए मामले का परीक्षण किया जाएगा।

कार्ड भुगतान के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक चेक की शुरुआत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड्स में अंतरपरिचालनीयता की शुरुआत करने के लिए एक ढांचा विकसित करने का पता लगाया जाएगा।

स्रोत: आरबीआई।

29 अक्तूबर 2025 को सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया। जनता से प्राप्त इनपुट की जांच की गई और 9 अप्रैल 2026 को परिपत्र जारी किया गया।

प्रमुख गतिविधियाँ

एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों की समुचित सावधानी

IX.14 एईपीएस की मजबूती बढ़ाने के लिए, एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों (एटीओ) की ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अधिग्राहक बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निदेश जारी किए गए।

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के विनियमन पर मास्टर निदेश

IX.15 भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन पर मास्टर निदेश ने भुगतान एग्रीगेटर्स के वर्गीकरण को युक्तिसंगत बनाया और व्यापारियों के लिए वर्धित समुचित सावधानी संबंधी मानदंड निर्धारित किए। इस निदेश के साथ, सभी भुगतान एकत्रीकरण गतिविधियों - ऑनलाइन, भौतिक और सीमा-पार - को विनियामक दायरे में लाया गया।

डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र के ढांचे पर निदेश

IX.16 तकनीकी प्रगति के आधार पर नए प्रमाणीकरण कारकों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निदेश जारी किए गए। इन निदेशों में विदेशी व्यापारियों या अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर क्रॉस-बॉर्डर कार्ड-नॉट-प्रेजेंट लेन-देन में कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (एएफए) के सत्यापन को भी अनिवार्य किया गया है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान

IX.17 सीटीएस में प्राप्ति पर निरंतर समाशोधन और निपटान लागू किया गया, जिसका पहला चरण 04 अक्तूबर 2025 को शुरू हुआ। इस पहल का उद्देश्य चेक समाशोधन में तेजी लाना और निरंतर प्रसंस्करण और ग्राहक खातों में तेजी से राशि जमा होने को सक्षम करके निपटान जोखिमों को कम करना है। इसके तहत, पहले चल रही बैच प्रोसेसिंग अप्रोच के बजाय प्रेजेंटेशन और कन्फर्मेशन सेशन के दौरान चेक को स्कैन, प्रस्तुत और निरंतर आधार पर पारित किया जाता है। जिन चेक की सकारात्मक पुष्टि की जाती है या जिनकी स्वीकृति समझी जाती है, उन्हें निपटान के लिए शामिल किया जाता है और नकारात्मक रूप से पुष्टि किए गए (अनादृत) चेक का निपटान नहीं किया जाता है। बैंकों के लिए निपटान के एक घंटे के भीतर ग्राहकों के खातों में राशि जमा करना आवश्यक है।

भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) का गठन

IX.18 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) की धारा 3 में वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार संशोधन किया गया, जिसके लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा 6 मई 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ यह 9 मई 2025 से लागू हुआ। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति, भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड (बीपीएसएस) को 9 मई 2025 से भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) से बदल दिया गया।

IX.19 पीआरबी की पहली बैठक 5 जनवरी 2026 को मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके साथ ही बोर्ड के सदस्यों- श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री टी. रबी शंकर, उप गवर्नर और श्री विवेक दीप, कार्यपालक निदेशक ने बैठक में भाग लिया।

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुँच

IX.20 तत्काल सीमा-पार व्यक्तिगत विप्रेषण को सक्षम बनाने के लिए सिंगापुर के PayNow के साथ भारत के यूपीआई को लिए फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफ़पीएस) के अंतर्गत द्विपक्षीय रूप से जोड़ा गया और यह फरवरी 2023 से परिचालनगत है। यूपीआई को अन्य देशों के एफपीएस के साथ जोड़ने के लिए कुछ और सहयोग-कार्य प्रगति पर हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत सीमा- पार विप्रेषण के लिए बहुपक्षीय एफ़पीएस को जोड़ने की परियोजना भी जारी है। रिज़र्व बैंक ने सीमा-पार विप्रेषण के लिए यूपीआई और अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच इस तरह के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की सुविधा प्रदान करना जारी रखा। क्यूआर-कोड आधारित व्यापारियों के लिए यूपीआई की स्वीकृति भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात में चालू है। यूपीआई पहुँच का दायरा अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग है, कुछ कार्यान्वयन राष्ट्रव्यापी हैं और कुछ वर्तमान में विशिष्ट स्थानों पर सक्षम हैं। सीमा-पार विप्रेषण और व्यापारी भुगतान को सक्षम बनाने के लिए तुलनीय प्रणालियों के साथ यूपीआई की अंतरपरिचालनीयता का और विस्तार करने के प्रयास जारी हैं। नामीबिया और पेरू में यूपीआई जैसी अवसंरचना लागू करने का कार्य चल रहा है और घरेलू कार्ड योजना के विकास के लिए रुपे स्टैक को लागू करने का कार्य मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात में पूरा हो चुका है। यह अंतरराष्ट्रीय विस्तार एनपीसीआई[4] इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और विदेशी भागीदारों के बीच रणनीतिक सहयोग के माध्यम से परिचालित किया जा रहा है जिसमें एफपीएस परिचालक, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भागीदार और भुगतान एग्रीगेटर्स भी शामिल हैं।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.21 रिज़र्व बैंक के डीपीआई (आरबीआई-डीपीआई), जिसकी गणना अर्ध-वार्षिक रूप से की जाती है, ने मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा, जो देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाए जाने और इसकी गहरी पैठ को दर्शाता है (चार्ट IX.1)।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.22 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत, 90 पीएसओ, अर्थात्, एक वित्तीय बाजार अवसंरचना (सीसीआईएल[5]), एक खुदरा भुगतान संगठन [एनपीसीआई जिसमें एनपीसीआई *भारत* बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल), रुपे कार्ड, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल), और एनआईपीएल शामिल हैं], 36 गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता, 30 पीए, 10 *भारत* बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू), चार कार्ड भुगतान नेटवर्क, चार व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ), तीन व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म प्रदाता और एक एटीएम नेटवर्क प्रदाता का ऑनसाइट निरीक्षण किया।

चार्ट IX.1 : डिजिटल भुगतान सूचकांक

सूचकांक (मार्च 2018 = 100)

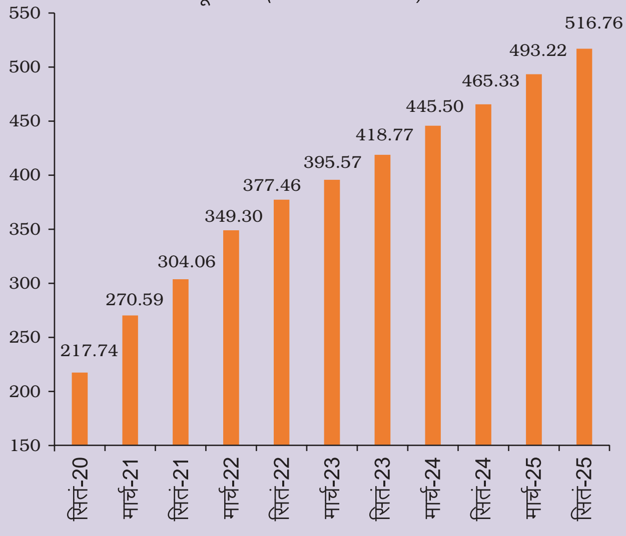

स्रोत: आरबीआई।

4 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।

5 भारतीय समाशोधन निगम लि.।

2026-27 के लिए एजेंडा

IX.23 2026-27 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- डीपीआईपी का दूसरा चरण, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित रिस्क़-स्कोरिंग प्लेटफॉर्म को विकसित करना शामिल है, वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और वर्ष के दौरान इसके पूरे होने की परिकल्पना की गई है;
- ग्राहक द्वारा स्वयं अधिकृत किए गए भुगतानों के मामले में हो रही धोखाधड़ी की निरंतर चुनौती का समाधान करना - जहां ग्राहक पहले से ही स्थित विभिन्न सुरक्षा उपायों जैसे अनिवार्य प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए), पेयी नेम लुकअप, कार्ड कंट्रोल्स, टोकनाइजेशन और संबंधित उपायों के बावजूद भुगतान करते हैं, वहाँ ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और धन की अधिक प्रभावी वसूली के लिए डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं में कुछ अवरोधों की शुरूआत करने का पता लगाया जाएगा;
- ग्राहकों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्ड लेनदेन के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को अधिक नियंत्रण रखने में मदद मिली है। सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों के लिए इसी प्रकार की सुविधा की शुरुआत के साथ-साथ एक 'किल स्विच' के साथ खाते से सभी डेबिट को एक झटके में ब्लॉक करने का पता लगाया जाएगा। यह सुविधा उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी और डिजिटल भुगतान लेनदेन में धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में योगदान देगी;
- निपटान जोखिम को कम करने और केंद्रीय बैंक धन निपटान के माध्यम से लेनदेन की समयसीमा में तेजी लाने के लिए, रिज़र्व बैंक संस्थाओं के कई वर्गों को प्रत्यक्ष आरटीजीएस और एनईएफटी पहुंच प्रदान करने का पता लगाएगा;
- डिजिटल भुगतान की पैठ को बढ़ाने और गहरा करने के प्रयासों को जारी रखना, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक कनेक्टिविटी और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना; तथा
- निर्बाध, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा-पार विप्रेषण के साथ-साथ व्यापारी भुगतान को सक्षम करने की दृष्टि से रणनीतिक भागीदार क्षेत्राधिकारों की तेज़ भुगतान प्रणालियों के साथ यूपीआई को जोड़ने और इसे विस्तारित करने के प्रयासों को जारी रखना (*उत्कर्ष* 2029)।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.24 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने रिज़र्व बैंक की सभी आईटी प्रणालियों और एप्लीकेशन्स के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम श्रेणी की आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने हेतु नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। डीआईटी ने भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने और साइबर-सुरक्षा सुदृढ़ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। वर्ष के दौरान की गई कई पहलों ने भारत के वित्तीय पारितंत्र की मापनीयता, अंतरपरिचालनीयता, वैश्विक एकीकरण और तकनीकी नींव को मजबूत किया। एक विशेष डोमेन '.bank.in' शुरू करने की विभाग की पहल ने विश्व स्तर पर भारत को बैंकिंग प्रणाली के लिए सुरक्षित डोमेन अनिवार्य करने वाले पहले देश के रूप में चिह्नित किया, जिससे साइबर सुरक्षा मजबूत हुई और इससे डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में कमी आएगी। इस प्रयास को सेंट्रल बैंकिंग, लंदन, यूके द्वारा मान्यता दी गई, जिसने रिज़र्व बैंक को 'इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026' पुरस्कार से सम्मानित किया।

2025-26 के लिए एजेंडा

IX.25 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा:* बुनियादी सेवाओं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर-एज-ए-सर्विस (आईएएएस), प्लेटफॉर्म-एज-ए-सर्विस (पीएएएस), सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (एसएएएस), कंटेनर-एज-ए-सर्विस (सीएएएस), स्टोरेज-एज-ए-सर्विस (एसटीएएएस), और पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल-एज-ए सर्विस (आईपीएएएस) के साथ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर (आईएफएस) क्लाउड के पहले चरण में पर कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) प्रबंधन, एप्लिकेशन निष्पादन प्रबंधन, उपलब्धता क्षेत्र, और विकास, सुरक्षा और परिचालन (DevSecOps) जैसी उन्नत सेवाओं के साथ क्लाउड के चरण II पर कार्य शुरू किया जाएगा (पैराग्राफ IX.26);
- *ई-कुबेर 3.0*: प्राथमिक नीलामी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, केंद्रीय लेखा अनुभाग और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) जैसी कार्यात्मकताओं से संबंधित भविष्य के मॉड्यूल के विकास की योजना बनाई गई है (पैराग्राफ IX.27);
- *डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए वैकल्पिक तंत्र*: रिज़र्व बैंक वैकल्पिक भुगतान और संदेश प्रणाली के विकास और उसमें नवाचार को जारी रखेगा। इसका ध्येय उन्नत क्षमताओं के साथ आधुनिक मानकों पर आधारित भुगतान और संदेश समाधानों को विकसित करना होगा (पैराग्राफ IX.28); तथा
- *'.bank.in' and '.fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना*: डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए '.bank.in' विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को कम करना है; और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास को बढ़ाया जा सके। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। बैंकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी (पैराग्राफ IX.29)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.26 आईएफएस क्लाउड के बीटा चरण को वर्ष के दौरान लाइव किया गया, और नौ संस्थाओं को क्लाउड पर ऑनबोर्ड किया गया। आईएफएस क्लाउड सेवाओं के पहले चरण पर कार्य अपने अंतिम सोपान पर है।

IX.27 सीएफएल मॉड्यूल का विकास वर्ष के दौरान पूरा किया गया। प्राथमिक नीलामी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और केंद्रीय लेखा अनुभाग जैसे अन्य कार्यों का विकास जारी है।

IX.28 रिज़र्व बैंक ने घरेलू और सीमा-पार वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों को सहयोग प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक भुगतान और संदेश प्रणाली का आंतरिक विकास किया है। जहां सीमा-पार संदेश भेजने के लिए ग्लोबल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) हब का विकास-कार्य पूरा हो चुका है, वहीं घरेलू संदेश प्रणाली का विकास-कार्य जारी है। उक्त प्रणाली विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएसओ 20022 संदेश मानक पर आधारित होगी और इसमें अन्य उन्नत कार्यात्मकताओं के साथ-साथ मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों *(सीपीएस)* द्वारा दी जाने वाली सभी कार्यात्मकताएं शामिल होंगी।

IX.29 पहल के पहले चरण के हिस्से के रूप में, सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने मौजूदा डोमेन को '.bank.in' में माइग्रेट करने का कार्य शुरू करें और 31 अक्तूबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करें। मार्च 2026 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को '.bank.in' डोमेन में माइग्रेट कर चुके हैं। वर्तमान में, शेष विदेशी बैंक और सहकारी बैंक माइग्रेशन की प्रक्रिया में हैं।

प्रमुख पहल

एनजीआरटीजीएस का उन्नयन

IX.30 भुगतान अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने एनजीआरटीजीएस को संस्करण 3.0 से 4.0 में अपग्रेड किया। इस वर्धित प्रणाली में समृद्ध वेब इंटरफ़ेस, बेहतर निष्पादन व सुरक्षा, और एकीकृत विभाजन व डेटा अभिलेखीय तंत्र मौजूद है।

एनईएफटी को आईएसओ 20022 संदेश मानकों के अनुरूप बनाना

IX.31 रिज़र्व बैंक की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली 2023 से आईएसओ 20022 के अनुरूप है, जिसमें 230 से अधिक सदस्य बैंक एक कनवर्टर सोल्यूशन के माध्यम से माइग्रेट कर चुके हैं। वर्ष के दौरान, सभी सदस्य बैंकों ने अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)/ मिडिलवेयर को आईएसओ 20022 संदेश मानक में माइग्रेट कर लिया है, जिससे आईएसओ संदेशों (कन्वर्टर्स के बिना) का सीधा एंड-टू-एंड ट्रांसमिशन सक्षम हो गया है। यह संरचित और विस्तृत डेटा, बेहतर वैश्विक सामंजस्य प्रदान करेगा और भुगतान प्रणालियों में अंतरपरिचालनीयता का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ई-कुबेर में संवर्द्धन

IX.32 चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के तहत चेक का निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान को 4 अक्तूबर 2025 से शुरू किया गया। इस बदलाव के साथ, चेक समाशोधन चक्र को 'टी+1' दिनों से घटाकर कुछ घंटों तक कर दिया गया है।

IX.33 इससे पहले, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में चेक आवक समाशोधन का कार्य किया जाता था, प्रत्येक के लिए अलग अवसंरचना की आवश्यकता थी। चेन्नई आरओ में सेवा शाखा की स्थापना करके इस व्यवस्था को बदल दिया गया, इस प्रकार आवक समाशोधन कार्यों को केंद्रीकृत किया गया।

IX.34 स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) द्वारा स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) का लाभ उठाने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक कार्यक्षमता विकसित की गई।

दूसरा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ईसीसीटीआई)

IX.35 दूसरे ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और ईसीसीटीआई का निर्माण पूरा हो चुका है और सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं।

2026-27 के लिए एजेंडा

IX.36 2026-27 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- *नेक्स्ट-जनरेशन कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर 3.0) का परिचालन [उत्कर्ष 2029]:* सरकारी खातों से संबंधित मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं और इनके चरणबद्ध तरीके से *ई-कुबेर* 2.0 से लाइव/माइग्रेट होने की उम्मीद है;
- *सामान्य बैंक-वार एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म का विकास:* ई-*कुबेर* 3.0, इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाला पहला भुगतान एप्लिकेशन होगा और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूदा एप्लिकेशन्स के चरणबद्ध

माइग्रेशन की योजना बनाई जाएगी। नई एप्लिकेशन के विकास की सभी पहल विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं द्वारा संवर्धित कोर प्लेटफॉर्म के घटकों पर आधारित होंगी;

- *रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच डेटा साझा करने हेतु तंत्र का अध्ययन करने के लिए कार्यदल की सिफारिशों का कार्यान्वयन* : रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच डेटा साझाकरण के तंत्र का अध्ययन करने के लिए राज्य वित्त सचिवों (एसएफएस) के 34वें सम्मेलन के हिस्से के रूप में एक कार्यदल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया। कार्यदल की सिफारिशों का कार्यान्वयन जारी है;

- *ग्लोबल एसएफएमएस हब का परिचालन*: भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पार भुगतान की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने ग्लोबल एसएफएमएस हब विकसित किया है - एक सीमा-पार संदेश प्रणाली, जिसे विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएसओ 20022 मानकों पर बनाया गया है। ग्लोबल एसएफएमएस हब के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की वित्तीय संदेश प्रणालियों को जोड़ने के लिए उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए कार्रवाई जारी है। अधिक घरेलू/विदेशी प्रतिभागियों को शामिल करके इसके अपनाए जाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे;

- *वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का विकास और परिचालन (उत्कर्ष 2029)*: बाहरी निर्भरताओं को कम करने और प्रणाली से संबंधित परिवर्तन/संवर्द्धन करने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को विकसित करने का कार्य शुरू किया है। यह एक व्यापक समाधान है जिसमें अन्य उन्नत कार्यात्मकताओं के साथ-साथ मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सभी कार्यात्मकताओं को शामिल किया गया है;

- *रिज़र्व बैंक में भविष्य के लिए तैयार एआई पारितंत्र की नींव का निर्माण (उत्कर्ष 2029)*: रिज़र्व बैंक एक संस्थान-स्तरीय एआई प्लेटफॉर्म को विकसित करने का कार्य शुरू करेगा, जिसे पूरे संगठन में एआई एप्लिकेशन्स के लिए एक मापनीय, अंतरपरिचालनीय और सुरक्षित तकनीकी आधार के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में उद्देश्य-निर्मित बड़े और छोटे भाषा मॉडल होंगे जो केंद्रीय-बैंकिंग कार्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित होंगे;

- *यूनिफाइड वर्कफ़्लो पोर्टल*: पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई वेब-फेसिंग और आंतरिक पोर्टल/एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित किया है। जहाँ एक ओर इन पोर्टलों ने सुविधा और पहुंच को सक्षम किया है, वहीं दूसरी ओर वे बड़े पैमाने पर साइलो में कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खंडित उपयोगकर्ता अनुभव, डेटा और प्रक्रियाओं का दोहराव, एकीकरण संबंधी समस्याएँ और उच्च रखरखाव अतिरिक्त प्रभार जैसी चुनौतियाँ होती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एकीकृत वर्कफ़्लो पोर्टल के विकास के माध्यम से विभिन्न पोर्टल/एप्लिकेशन का समेकन किया जाएगा जो उपयोगकर्ता अनुभव, प्रमाणीकरण, डेटा एकीकरण और वर्कफ़्लो क्षमताओं को मानकीकृत करेगा; तथा

- *'. fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना*: डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को और मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र में

अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन *'. fin.in'* बनाने की योजना है। यह पहल व्यापक वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली डिजिटल वित्तीय सेवाओं की सुदृढ़ता और विश्वास को और बढ़ाएगी।

रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट)

IX.37 रेबिट ने अपने संस्थागत कार्य-बल को 1,200 से अधिक पेशेवरों तक विस्तारित किया, जिससे रिज़र्व बैंक के लिए सुरक्षित, सुदृढ्ढ और भविष्य के लिए तैयार एप्लिकेशन्स वितरित करने के लिए उनकी उद्यम-स्तरीय क्षमता में वृद्धि हुई। सितंबर 2025 में, इसने एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर, एआई/एमएल और साइबर सुरक्षा को कवर करने वाली तीन वैश्विक मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं वाली पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की।

आरबीआई एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म

IX.38 रेबिट ने रिज़र्व बैंक के डेटा केंद्रों में एंटरप्राइज़ प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने, विकसित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विविध हितधारकों के लिए उद्देश्य-विशेष एप्लिकेशन्स प्रदान किए जा सकें। वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में प्रवाह[6] का उन्नयन, *समन्वय* – (अग्रणी बैंक योजना के तहत बैठक प्रबंधन समाधान), और डीआईसीजीसी[7] की वेबसाइट, जिसमें एआई-सक्षम एफएक्यू[8] चैटबॉट है, शामिल हैं।

साइबर-सुरक्षा

IX.39 साइबर सुरक्षा में, रेबिट ने रिज़र्व बैंक के सुरक्षा परिचालन केंद्र में खतरों का पता लगाने वाले उन्नत प्लेटफार्मों को लागू करके और विकासाधीन सभी एप्लिकेशन्स के लिए सुरक्षित सॉफ्टवेयर विकास अवधि प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करके सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया।

सिस्टम ऑडिट

IX.40 रेबिट ने विनियमित संस्थाओं के आईटी और साइबर सुरक्षा संबंधित परीक्षण, आईटी और विषयगत परीक्षण, त्वरित साइबर-सुरक्षा प्रत्यक्ष मूल्यांकन, अनुपालन मूल्यांकन और सिस्टम ऑडिट आकलन की सुविधा प्रदान करने में रिज़र्व बैंक को सहयोग प्रदान करना जारी रखा।

2026-27 के लिए एजेंडा

IX.41 अगले वर्ष के एजेंडा के हिस्से के रूप में, रेबिट नेक्स्ट जनरेशन कोर बैंकिंग समाधान (*ई-कुबेर* 3.0) के परिचालन में डीआईटी को सहयोग देगा, एंटरप्राइज़ प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त एप्लिकेशन को शुरू करेगा और रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित नई कम्प्यूटरीकरण-पहलों को आगे बढ़ाएगा। इन पहलों से आईटी अवसंरचना के समेकन और आधुनिकीकरण के लिए रिज़र्व बैंक के रणनीतिक रोडमैप के अनुरूप मापनीयता, परिचालन दक्षता और तकनीकी सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलेगा।

इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलोजी एंड एलाइड सर्विसेस (आईएफटीएएस)

IX.42 आईएफटीएएस ने भारत की वित्तीय अवसंरचना में डिजिटल परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। रणनीतिक पहल और तकनीकी आधुनिकीकरण के माध्यम से, आईएफटीएएस ने मुख्य भुगतान प्रणालियों को मजबूत किया, निर्बाध और सुरक्षित वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित की और एक सुरक्षित, मापनीय और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय पारितंत्र की नींव रखी।

6 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म (प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल)।

7 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम।

8 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

संचार नेटवर्क

IX.43 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आईएफटीएएस के माध्यम से, बेहतर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एप्लिकेशन दृश्यता और वर्धित सुरक्षा के लिए एसडी-वैन[9] तकनीक का उपयोग करते हुए अपग्रेडिंग तकनीक, बैंडविड्थ और समग्र सेवा वितरण के सफलतापूर्वक निष्पादन द्वारा इनफिनेट 2.0 से 3.0 और इंटरनेट 1.0 से 2.0 में परिवर्तन किया।

भुगतान और संदेश प्रणालियाँ

IX.44 आईएफटीएएस ने एनईएफटी, आरटीजीएस और एसएफएमएस को एकीकृत करते हुए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली (एपीएस) का विकास शुरू किया, जो वर्तमान में कार्यात्मक और प्रदर्शन परीक्षण के अधीन है। साथ ही, आईएफटीएएस ने ग्लोबल एसएफएमएस हब, एक सुरक्षित, आईएसओ 20022 मानक-अनुरूप क्रॉस-बॉर्डर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, विकसित किया, जो वर्तमान में भारत में सदस्य बैंकों और अन्य देशों के नामित केंद्रीय बैंकों के साथ सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) परीक्षण के अधीन है। इसके अलावा, सीसीआईएल-आईएफएससी लिमिटेड[10] के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में, आईएफटीएएस ने अक्तूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) लॉन्च की, जिससे गिफ़्ट[11]-आईएफएससी में लगभग वास्तविक समय में विदेशी मुद्रा निपटान संभव हुआ। इससे भारत की वैश्विक वित्तीय प्रतिस्पर्धात्मकता और स्वायत्तता को बढ़ावा मिला।

इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर क्लाउड

IX.45 आईएफटीएएस को सुरक्षित, लागत प्रभावी क्लाउड-आधारित सेवाएं प्रदान करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी अंगीकरण, अभिशासन और डेटा स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर (आईएफएस) क्लाउड बनाने का काम सौंपा गया था। वर्ष के दौरान आईएफएस क्लाउड सेवाओं के पहले चरण पर कार्य शुरू किया गया। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद सेवाओं के साथ आईएफएस क्लाउड का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया, और तब से नौ संस्थाओं को इस प्रणाली में ऑनबोर्ड किया गया है।

2026-27 के लिए एजेंडा

IX.46 आईएफटीएएस बुनियादी सेवाओं के साथ आईएफएस क्लाउड के पहले चरण को लागू करेगा और दूसरे चरण पर काम शुरू करेगा, जो उन्नत क्षमताओं से युक्त होगा। आईएफटीएएस, रिज़र्व बैंक के सहयोग से, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली (एपीएस) और ग्लोबल एसएफएमएस हब को लॉन्च करने की दिशा में कार्य करेगा, जो भारत की वित्तीय अवसंरचना और वैश्विक एकीकरण को और मजबूत करेगा।

4. निष्कर्ष

IX.47 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने वैश्विक पहुंच का विस्तार करते हुए, डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देते हुए और साइबर सुदृढ्ढता को मजबूत करते हुए भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाना जारी रखा। नवाचार को बढ़ावा देने, परिचालन जोखिमों को कम करने और निर्बाध आईटी परिचालन के लिए मजबूत आईसीटी अवसंरचना को बनाए रखने के प्रयास जारी रहे। आगे बढ़ते हुए, निपटान जोखिम को कम करने और लेनदेन में तेजी लाने, एआई एप्लिकेशन्स के लिए एक सुरक्षित और मापनीय आधार प्रदान करने हेतु एक संस्थान-स्तरीय एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने, ई-*कुबेर* 3.0 का परिचालन करने और गैर-बैंक संस्थाओं के लिए विशिष्ट डोमेन *'.fin.in'* का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

[9] सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क।

[10] सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में गिफ़्ट सिटी, गुजरात में कार्यरत है।

[11] गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी।